



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh
विकास नगर, कानपुर-208002
Vikas Nagar, Kanpur-208002

वेबसाइट/वेबसाइट : http://upted.gov.in/directorate

CRM/Phone: 2582084

फैक्स/Fax: 2580165

ई-मेल/Email: director@upted.gov.in

आदेश :-

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के निवृत्त/प्रायोजित राजकीय पालीटेक्निकों के समूह 'ख' श्रेणी में तैनात निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्बन्धित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वोच्च/बीगली/सूची :-	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है	अनुपस्थिति
1.	विकास सिंह, व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, सिन्दूरिया, सोनभद्र	राजकीय पालीटेक्निक, सोनभद्र	स्वयं के अनुरोध पर।

उपरिलिखित कार्मिक में से, जिन कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई बाधा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रबन्धनाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिक को प्रतिस्थापनी की प्रतीक्षा किये और प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवेदित सन-सेनेटर परीक्षा/कार्मिक परीक्षा/बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून, 2022 एवं मस्की प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा, जून-2022 समाप्ति के पश्चात् तत्काल कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दे।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में घाना जावेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जावे और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1986' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' तथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये गिलम्वन के सम्बन्ध में भी विचार किया जावेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कौषाधिकारी को दे दी जावेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-संख्या-11/2022/363-सामान्य/सौदासि-का-4-2022-1/3/96, दिनांक 15.08.2022 में निहित प्रविधियों/प्राविधानों के परिच्छेद में विगट किये जा रहे हैं।

(मनीज कुमार)
निदेशक।

संख्या-14843-56/ई-2-दो-134(पी)(2022-23), कानपुर-दिनांक: 30 जून, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh
विकास नगर, कानपुर-200002
Vikas Nagar, Kanpur-200002

वेबसाइट/वेबसाइट : <http://upted.gov.in/directorato>

टेलीफोन/फोन: 2582064

टेलीफैक्स/फैक्स: 2580965

ई-मेल/ईमेल: directorato@gmail.com

5. विलत नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी संस्था से संबंधित कार्मिक को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित सत्र-सेनेस्टर परीक्षा/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून, 2022 एवं मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा, जून-2022 समाप्ति के पश्चात् तत्काल कार्यमुक्त कर भवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब सूचित करें।
11. संबंधित कार्मिक (द्वारा संस्था प्रधानाचार्य)।
12. प्रकरण सहायक, सी0आर0डुप।

(सी0के0के नमई)

उपनिदेशक,

कृत निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।